Seventeenth Loksabha

an>

Title : Demand to release Central Government's share of 50% for promoting inter-caste marriages to State Government of Maharashtra..

श्री राहुल रमेश शेवाले (मुम्बई दक्षिण-मध्य): अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने अंतर्जातीय विवाह के लिए प्रोत्साहन अनुदान के लिए 50 हजार रुपये के अनुदान को मंजूरी दी थी । जातिगत असमानता को मिटाने के लिए अगस्त 2004 में राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के सहयोग से अंतर्जातीय विवाह अनुदान योजना शुरू की । इस योजना का उद्देश्य इस अनुदान राशि का केंद्र और राज्य सरकार से 50-50 प्रतिशत धन मुहैया कराना है, परंतु पिछले चार सालों से केंद्र सरकार ने अपने हिस्से की 50 प्रतिशत रकम को रिलीज नहीं किया है । इसके कारण राज्य में लगभग 15,000 से अधिक अंतर्जातीय विवाहित जोड़े केंद्र सरकार से 50,000 रुपये की मदद की प्रतीक्षा कर रहे हैं । शुरूआत में, इसमें लगभग आधा पैसा शादीशुदा लड़की से शादी करने के नाम पर लगाया गया था । शेष धन का उपयोग सांसारिक रोजमर्रा के काम में आने वाली वस्तुओं को मुहैया कराने के लिए किया जाता था । राज्य सरकार ने बढ़ती महंगाई को देखते हुए सब्सिडी में 15,000 रुपये की बढ़ोत्तरी करने का फैसला किया है । इस योजना का कार्यान्वयन जिला परिषद का समाज कल्याण विभाग करता है । चूंकि चार वर्षों से केंद्र सरकार ने अपने आबंटन के बिलों को रोक दिया है, तो राज्य में अंतर-जातीय विवाह करने वाले जोड़ों को यह राशि नहीं मिल पा रही है । इसलिए अंतर-जातीय विवाह को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने राशि को फिर से 15 हजार रुपये से बढ़ाकर सीधे 50 हजार रुपये कर दिया है । यदि नियम और शर्तों का पालन करते हुए नवविवाहित जोड़े जिला परिषद के सामाजिक कल्याण विभाग में अपना आवेदन जमा करते हैं, तो उन्हें 50 हजार रुपये का चेक दिया जाएगा । राज्य सरकार ने चार साल, 2016, 2017, 2018 और 2019 में अपने स्वयं के धन का 50 प्रतिशत स्वीकृत किया है । उसी के

लिए अधिसूचना जिला परिषदों को दी गई है । केंद्र सरकार द्वारा अपने हिस्से का 50 प्रतिशत हिस्सा वापस लेने के कारण, राज्य में अंतर-जातीय विवाहित जोड़ों को लगभग चार वर्षों के लिए समाज कल्याण विभाग को इसे स्थगित करने के लिए मजबूर होना पड़ा है । महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में अंतर-जातीय विवाह के लगभग 559 मामले अभी भी प्रलंबित हैं । इन 559 जोड़ों के लिए 2,79,50,000 रुपये की राशि लंबित है ।

अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से केंद्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि अंतर-जातीय विवाह को बढ़ावा देने हेतु इस स्कीम के अंतर्गत अपने हिस्से का 50 प्रतिशत वर्ष 2016 से रिलीज करे । धन्यवाद ।